न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2019 (डूंगरपुर डिक्री)

रामेश्वर पिता लालजी पटेल, निवासी सालमपुर, तहसील व जिला डूंगरपर

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कुरा पिता पूँजा पटेल, निवासी सालमपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. डायालाल पिता कुरा पटेल, निवासी सालमपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. माधवजी पिता ताजेंग पटेल, नि0 सालमपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 02.05.2019 प्र.सं. 2/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री के. एल. पाटीदार अभि. रेस्पो. सं. 1 से 3
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

———::———

निर्णय **दिनांक 04–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालमपुरा में पक्षकारों की शामलाती आराजियात किता 28 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4, वादी संख्या 2 का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों सगे भाई होकर उसके शामलाती खाते की आराजी नंबर 1180 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का दोनों उपयोग–उपभोग करते हैं। उक्त भूमि में से कुछ भूमि आबादी हो चुकी है तथा कुछ भूमि पर दुकाने बनी हुई हैं जो वाद में वर्णित अनुसार है। अतः निवेदन किया कि आराजी नंबर 1180 का विधिवत बंटवाड़ा किया जावे तथा 1/2 हिस्से अनुसार

बंटवाड़ा कर दोनों के हिस्से में 11–11 बिस्वा भूमि रखी जावे तथा प्रतिवादी को किसी प्रकार निर्माण नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक 31–01–2014 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्तुत के आधार पर दिनांक 29–12–2014 को अंतिम डिक्री जारी की। वादी द्वारा उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 1/2015 प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिनांक 23–11–2016 से प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02–05–2019 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02–05–2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री के. एल. पाटीदार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवारा स्कीम पर कोई गौर नहीं किया है। आराजी नंबर 1180 रोड साईड में है, जिसमें दो दुकाने बनी हुई है तथा दुकानों की पीछे अपीलान्ट की दो बिस्वा भूमि है, जिस पर धुलकुटिया ने मकान बनवाया है। प्रस्तुत नक्शे में अपीलान्ट के आने–जाने का कोई रास्ता नहीं दर्शाया गया है तथा आराजी नंबर 1180 की कुछ भूमि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के शामलाती रखी गयी है, जिससे विवाद बने रहने की संभावना है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई गौर नहीं किया गया है।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि वादी महत्वपूर्ण 1 बिस्वा आबादी की शेष रही शामलाती भूमि पर 2 दुकानों का निर्माण कर प्रतिवादी के हिस्से के लिए मौन है, जो नियम विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी माना है कि दोनों पक्ष नायब तहसीलदार डूंगरपुर के विभाजन प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। दोनों पक्षों के विभाजन पत्र से समहत नहीं होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड व मौके की स्थिति अनुसार निर्णय पारित किया है एवं अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''मौके की स्थिति व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुक्रम में आराजी नंबर 1180 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में 0.3 आबादी व 0.2 पडत कुल 5 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी के शामलाती ही दर्ज रेकार्ड रखी जावे व इस आराजी का शेष 1 बीघा कृषि भूमि को वादी एवं प्रतिवादी के नाम प्रत्येक के 10, 10 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड की जावे। आराजी नंबर 1180 के उपरोक्तानुसार विभाजन से मौके की स्थिति नक्षा ट्रेस परिशिष्ट ''अ'' रहेगी।''

अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्तानुसार मौके की स्थिति व रेकार्ड के अनुसार आराजी नंबर 1180 बाबत वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–05–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 04–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

रामेश्वर पिता लालजी पटेल, निवासी सालमपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर बनाम **कुरा पिता पूजा पटेल, निवासी सालमपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**7 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **डूंगरपुर** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....02**.....माह.....**05**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**04**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री लालसिंह चुण्डावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री के.एल. पाटीदार**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–05–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**04**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:14:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: